न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2013-00013RAAJodhpur2013-62RTA223 Parasmal Vs Lrs of Lichhaman etc

पारसमल गोदपुत्र केशरबाई पुत्री स्व. आईदान बेवा गुलाबचन्द, जाति ओसवाल (जैन) निवासी आऊ तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. लिछमण उर्फ लक्ष्मीलाल के कायम मुकामः—
   1.1. लाडा बाई पत्नी स्व. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीलाल
   1.2. गौतम पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीलाल,
   1.3. मगराज पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीलाल
   1.4. रमेश चन्द्र पुत्र स्व. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीलाल,
   1.5. कंचन पुत्री स्व. लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीलाल,
   1.6. मन्जु पुत्री स्व. लक्ष्मण तर्फ लक्ष्मीलाल,
   सभी जातियान महाजन, निवासीगण खीचन, हाल 29 हाई रोड पुतूर तिरूची तिरूच्चिराप्पल्ली (तमिलनाडू)।
2. धापूबाई बेवा किशनलाल (आसीबाई की पुत्रवधु)
3. सीमा पुत्री किशनलाल (आसीबाई की पोती)
4. भंवरलाल पुत्र किशन लाल (आसीबाई का पोता)
5. सरीता पुत्र किशनलाल (आसीबाई की पोती)
6. देवी चन्द पुत्र दीपचन्द
7. मंगल चन्द पुत्र दीपचन्द,
8. गणेश मल पुत्र दीपचन्द,
9. महावीर चन्द पुत्र दीपचन्द
10. प्रकाश चन्द पुत्र दीपचन्द (आसीबाई के पुत्रगण)
11. प्रभु बाई उर्फ प्रकाश देवी पत्नी मदन लाल के कायम मुकामः—
    11.1. सन्तोष पुत्र प्रभुबाई
    11.2. धरम चन्द पुत्र प्रभुबाई, जाति जैन,
    निवासीगण आऊ तहसील फलोदी जिला फलोदी।
    11.3. विमला पुत्री प्रभु बाई पत्नी पन्नालाल जी. जाति जैन निवासी आउ तहसील फलोदी जिला फलोदी, हाल निवासी सिंगोला जिला नान गाँव।
    11.4. निलु पुत्री प्रभु बाई पत्नी हाइनेन्द्र संचेती, जाति जैन, निवासी आउ तहसील फलोदी जिला फलोदी, हाल निवासी गॉव सामलपुर जिला बालोद ।
    11.5. गुटका पुत्री प्रभुबाई पत्नी रेखचन्द जी जाति जैन निवासी आउ तहसील फलोदी जिला फलोदी, हाल निवासी गुरूनान चौक, जगदलपुर जिला बस्तर ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. सुवा पुत्री आसीबाई के कायम मुकामः–
    - 12.1. पप्पु पुत्र सुवा
    - 12.2. चन्दु पुत्री सुवा,
    - 12.3. मन्जु पुत्री सुवा,
13. जसू पुत्री दीपचन्द
14. मन्जू पुत्री दीपचन्द, (आसीबाई की बेटीया) सभी जातियान महाजन, निवासीगण आऊ तहसील फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर 2007 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 129/2002 केशर बाई बनाम लक्ष्मीलाल इत्यादि

उपस्थित–
श्री सारांश विज, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री ओ.पी. मेहला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6
श्री कमल सिंह राठौड़, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 8, 11/1 से 14,

नि र्ण य

दिनांक : 01 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 129/2002 अनवान केशरबाई बनाम लक्ष्मीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर 2007 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 जून 2013 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की गोदग्रहिता माता केशरबाई ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम आऊ, तहसील फलोदी(तत्समय) की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 105 रकबा 124.06 बीघा के संबंध में धारा 88, 89, 91, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में 1/2 की हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2007 को वादीनी का वाद अदम साक्ष्य एवं अदम पालना में खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान वक्त सेटलमेन्ट आईदान पुत्र सदासुख जी (ओसवाल) महाजन के नाम जारी हुआ है। खातेदार स्व. आईदान जी फौत हो चुके है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान उनकी दो पुत्रियों केशरबाई व आसीबाई है। दोनो का देहान्त हो चुका है। केशर बाई का वारिस एक मात्र गोद पुत्र पारसमल है तथा आसीबाई के वारिसान रेस्पोडेन्ट सख्या 2 से 14 है। उक्त खसरान की भूमि में केशर बाई का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा आसीबाई का है। केशर बाई ने अपीलाण्ट पारसमल के पक्ष में रजिस्टर्ड गोद नामा दस्तावेज निष्पादित करवाया है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत केशर बाई का देहान्त होने के बाद उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान एक मात्र गोद पुत्र अपीलाण्ट पारसमल ही है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट व 1/2 हिस्से के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 14 कानूनन हकदार है। उक्त भूमि पर खातेदार आईदान के फौत होने पर कब्जा मौके पर उनकी दोनो पुत्रियाँ केशर बाई व आसीबाई का ही रहा है। उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट का ही उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त है तथा 1/2 हिस्से पर आईदान जी की दुसरी पुत्री आसीबाई का कब्जा व काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमण उर्फ लक्ष्मीलाल का कोई कब्जा व काश्त नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गाँव खीचन में निवास न करके तामिलनाडू में निवास कर रहा है। विवादित भूमि वक्त सेटलमेन्ट स्व० आईदान जी की खातेदारी की भूमि थी। रेवेन्यू रेकर्ड पर्चा, लगान पर्चा, खतौनी व खतौनी बन्दोबस्त में स्व० आईदान जी के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज थी तथा खतौनी बन्दोबस्त के आधार पर रेवेन्यू रेकर्ड जमाबदी में उनके नाम खातेदारी दर्ज रही है। स्व. आईदान की मृत्यु के बाद उनके जायन्दा पुत्रियाँ आसीबाई व केशर बाई उत्तराधिकारी हुई। स्व० आईदान जी के मृत्यु के बाद जायन्दा पुत्रिया होने के कारण व प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उक्त भूमि की स्वत खातेदार हो गई। इस कारण विचारण न्यायालय को केशर बाई व आसीबाई को खातेदार घोषित करना चाहिए था तथा दोनो की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसानो को खातेदार घोषित करना चाहिए था, परन्तु मातहत अदालत ने रेवेन्यू रेकर्ड को नजर अन्दाज करते हुए तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानो के विपरीत केशर बाई स्व.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आईदान जी की जायन्दा पुत्री होते हुए भी उसको खातेदार घोषित नहीं किया है तथा केशर बाई का खातेदारी घोषणा का दावा मातहत अदालत ने बिना किसी कानूनी आधार के खारिज कर दिया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि सहायक कलेक्टर, फलोदी ने दिनाक 08.07.2002 को मौका रिपोर्ट तलब की थी। उक्त मौका रिपोर्ट में वादग्रस्त ग्राम आऊ के खसरा नम्बर 105 रकबा 124 बीघा 6 बिस्वा के मौके पर केशर बाई पुत्री आईदान राम की रहवासी ढाणी बतायी, मौके पर बाजरी मोठ की फसल बोई हुई बताई तथा मौके पर घास व पछावा व पानी का टांका रहवासीय दो झोपडे तथा भूमि के चारो तरफ काटो की बाड़ बताई तथा मौके पर आसीबाई के वारिसानो का ही कब्जा व काश्त बताया। मौके पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 का कोई कब्जा व काश्त नहीं बताया। दिनाक 06.10.2003 को नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा सहायक कलेक्टर, फलोदी के वहा मौका फर्द पेश की गई, उसमें भी कब्जा व काश्त खातेदार स्व. आईदान जी की पुत्री केशर बाई व आसीबाई के वारिसान का है। उक्त मौका फर्द से भी स्पष्ट ताईद है कि उक्त भूमि पर खातेदार काश्तकार के रूप में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सख्या 2 से 14 का कब्जा व काश्त है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 का कोई कब्जा व काश्त नही है। स्व. आईदान जी की फौतेदगी पर म्युटेशन सख्या 13 स्वीकृत किया। उक्त म्युटेशन फर्द पर धनराज व अनराज के वारिसानो का उल्लेख कर दिया, परन्तु खातेदार आईदान को नाऔलाद बताया तथा उसका कोई वारिसान उल्लेखित नहीं किया, जबकि खातेदार आईदान के प्रथम श्रेणी की वारिसान दो जायन्दा पुत्रियाँ केशर बाई व आसीबाई जीवित थी, परन्तु उनको वारिसान नहीं बताया। ग्राम पंचायत भोजासर ने स्व० आईदान के उत्तराधिकारियो की सही जाँच नही की। प्रथम श्रेणी के वारिसान जाईन्दा लडकियों के नाम स्वीकृत नही करके स्व० आईदान के भाई के पुत्र लिछमण के नाम म्युटेशन स्वीकृत कर दिया जो कि द्वितीय श्रेणी के वारिसान थे। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्रिया जीवित है तो द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम म्युटेशन स्वीकृत नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि केशर बाई ने कोई भी लिखावट रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के पक्ष में नहीं लिखी है तथा न ही उक्त भूमि के संबंध में अपने पिता स्व० आईदान के अलावा उनके दोनो भाई व धनराज व अनराज का कब्जा अधिकार नही माना है तथा न ही उनका कोई कब्जा व काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माना है। उक्त लिखावट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपना हक व अधिकार मान रहे है, जबकि उक्त लिखावट अनरस्टिर्ड दस्तावेज पर लिखावट है। इस कारण उक्त लिखावट के आधार पर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 उक्त भूमि का खातेदार नहीं माना जा सकता। अगर उक्त लिखावट को रेस्पोडेन्ट सख्या 1 मान रहे है तो स्व० आईदान का उक्त लिखावट में 1/3 हिस्सा लिखा हुआ है जबकि सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमण ने अपने नाम कैसे करवा ली। इस कारण उक्त लिखावट संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस कारण उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार कानूनन नही माना जाएगा। उक्त दस्तावेज मातहत अदालत में प्रदर्शित नही हुआ है, इसलिए साक्ष्य में नही पढा जा सकता है । विचारण न्यायालय में केशर बाई ने खातेदारी घोषणा का दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमण के विरुद्ध पेश किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमण की मामले मे तामील होने के बाद अधिवक्ता ने वकालत नामा पेश किया तथा अधिवक्ता मोहन लाल राठी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लिछमण की ओर से जवाब दावा पेश किया था। दावे व जवाब दावे के आधार पर मातहत अदालत ने तनकियात कायम की थी। उक्त तनकियात कायम करने के बाद उक्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिनी केशर बाई रखी थी। वादिनी केशर बाई वृद्ध व विधवा औरत थी तथा कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। वादिनी के अधिवक्ता शम्भु सिंह ने वादीनी को साक्ष्य पेश करने हेतु पत्र के द्वारा कोई सूचना नहीं दी थी। अधिवक्ता ने कहा था कि तुम वृद्ध हो इस कारण पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत होगी तब पेशी पर उपस्थित होने की सूचना दे दूँगा। केशर बाई अधिवक्ता के विश्वास में रह गई तथा केशर बाई को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर मातहत अदालत ने नहीं दिया। दिनाक 29.10.2007 को केशर बाई द्वारा साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने के अभाव में दावा खारिज कर दिया। वादीनी के अधिवक्ता मानसिक तनाव से ग्रस्त थे तथा उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिससे साबित है कि उनके द्वारा वादीनी को सही समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की जानकारी नहीं की दी गई तथा न ही उनके द्वारा कॉस्ट की राशि जमा करवायी गई। माननीय न्यायालय द्वारा भी इसी आधार पर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को माफ किया है तथा अदालत हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में रेस्पोडेंट्स की ओर से निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के आदेश की पुष्टि की गई है। विचारण न्यायालय ने केशर बाई को साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर प्राकृतिक सिद्धान्तों का खुला उल्लंघन किया है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो की भी अनदेखी है। इस कारण हस्तगत प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को मद्दनजर रखते हुए तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के तहत प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः रिमाण्ड कर अपीलाण्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण मौका देकर दावे को मैरिट पर निर्णित करने का निर्देश देना कानूनन लाजमी है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर 2007 को निरस्त किया जावे एवं मामला गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के वारिसान् के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि केसरबाई एवं आसी बाई द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हक हिस्से की लिखत रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में निष्पादित कर वादग्रस्त आराजी रूपये 215 में बेचान कर धनराज व अनराज के पक्ष में कर दिया तथा उक्त लिखत की पालना में धनराज एवं अनराज के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का नामांतरकरण स्वीकृत हुआ। अपीलांट्स की ओर से उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा खारिज की गई। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से नियमित वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वादीन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के मय कॉस्ट पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके साक्ष्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने तथा विचारण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी के वाद को खारिज कर दिया गया। कानूनन केसरबाई द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान कर दिये जाने से उसके गोदपुत्र को वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वादीनी द्वारा अपने वाद में जमाबंदी में दर्ज सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिस कारण वादीनी का वाद पक्षकारान् के कुसंयोजन के आधार पर खारिज योग्य था। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 1984 0 ए.आई.आर.(एम.पी.)131, 2014(1)डब्ल्यू.एल.सी.(राज.)312, (2008)6 सीटीसी 529, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी.(सिविल) नं.935–936 सन् 2021 अनवान रजनीश कुमान बनाम वेद प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2024 की प्रति पेश की।

रेस्पोडेंट संख्या 8, 11/1 से 14 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित किये जाने निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण में परिप्रेक्ष्य में गहन परिशीलन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है मामले में प्रतिवादी विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी के वाद को अदम साक्ष्य न्यायालय आदेशों की अवहेलना के आधार पर खारिज किया जाना पाया जाता है। इस संबंध में अपीलांट का कथन है कि वादीनी के अधिवक्ता द्वारा सन् 2011 में आत्महत्या कर ली गई थी जो तथ्य निर्विवादित है। इस तथ्य का रेस्पोडेंट पक्ष की ओर से भी खण्डन नहीं किया गया है। उक्त तथ्य से साबित है कि वादीनी के अधिवक्ता किसी मानसिक अवसाद से ग्रसित होने से वे अपने पेशे में समुचित एकाग्रता से कार्य नहीं कर पाये तथा न ही वादीनी के वाद में समुचित कार्यवाही कर पाये। विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी को बार–बार मय कॉस्ट साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अधिवक्ता के मानसिक अवसाद की स्थिति के कारण वे मामले में समुचित चाराजोही नहीं कर पाये एवं वादीनी स्वयं की भी उम्र अधिक होने व बिमारी के कारण वह भी अपने अधिवक्ता से नियमित रूप से सम्पर्क नहीं कर पायी। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी के अभाव में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीनी का वाद खारिज किया जाना पाया जाता है। कानूनन अधिवक्ता की किसी भूल की वजह से पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है।

हस्तगत मामले में उपलब्ध अभिलेख से साबित है कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट स्व. आईदान की खातेदारी में दर्ज रही है। वादीनी केसरबाई एवं आसीबाई स्व. आईदानराम की जायंदा पुत्रीया एवं प्रथमश्रेणी वारिस है। उक्त संपति वादीनी एवं आसीबाई की होने के पिता की संपति होने से उक्त संपति में उनका पुश्तैनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हक–हिस्सा कानूनन निहित है। वही रेस्पोडेंट्स के इस कथन कि केसरबाई एवं आसीबाई द्वारा वादग्रस्त आराजी का 1/3 वा हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या एक लिछमणराम एवं रूपचंद को बेचान कर दिया गया, इन सभी तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य से तय होना है। ऐसी स्थिति में हस्तगत मामले में भूलभूत कानूनी बिंदु निहित होने तथा इन बिंदुओं का निर्धारण जरिये साक्ष्य ही तय होने से मामला विचारण न्यायालय को प्रतिपेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि की मंशा के विपरीत के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 129/2002 अनवान केशरबाई बनाम लक्ष्मीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर 2007 निरस्त किये जाते है एवं मामले में 5000/– रूपये की कॉस्ट पर अपीलांट/वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने एक और अवसर दिया जाकर हिदायत दी जाती है कि वह अदालत हाजा द्वारा नियत पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करे। साथ ही विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी द्वारा कॉस्ट राशि राजकोष में जमा करवाने की रसीद पेश किये जाने पर वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष से साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रस्तुत साक्ष्यों का तर्कसंगत विवेचन करते हुए विधिनुसार वाद का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 अप्रैल 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर